

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No. MemoDated 14/12/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **6.404675 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) **for Construction of Tatric (Jakholi) Toli Talli Motor Road Length 20.550 Km.) Irrigation Division (PMGSY) P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Birora, Pithuni, Thana Matena, Bhatkhola, Gauna, Toli Talli, Dhaili, Toli Malli, Gaon Village (s) in Almora tehsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **6.404675 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
 अल्मोड़ा


 14/12/14
 (Vinod Kumar Suman)

जिला अधिकारी

(Full name of the official seal of the District Collector)

official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE,
DISTRICT – ALMORA (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the District Level committee constituted under sechedule
Tribes & other traditional Forest Dwellers(Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

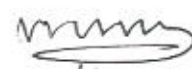
A meeting of the District level committee of Almora District, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship of **Mr. VINOD KUMAR SUMAN I.A.S.** District Magistrate Almora on 14-12-14 at 11 A.M / P.M. at Almora which the application claiming rights in Mail area measuring 6.404675 Hect. for the construction of Tatrik (Jakholi) talli toli Motor Road (Length 20.550 K.M.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division Level committee of ALMORA Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level committee,

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/ claims were found to have been made & hence District Level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated:


जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


14.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
 District Magistrate cum- Chairman
 District Level committee, Almora.

1.6 69

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्टिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत टाट्टिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंजायत भूमि, अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 14/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिकू बिष्ट, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्रीमती रिकू बिष्ट उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा-अध्यक्ष
- 2- श्री भूपेन्द्र सिंह जीना उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा -सदस्य
- 3- श्री हेम तिवारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा -सदस्य/सचिव
- 4- श्री चन्दन सिंह रौतेला बी०डी०सी० क्षेत्र विवेक सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि टाट्टिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना हेतु 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत जनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंजायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत टाट्टिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

A7
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

A7
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-बिरौड़ा

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिरौड़ा द्वारा दिनांक 25.8.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिरौड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

नोट:- ग्राम पंचायत/किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित

विस्तार प्रपत्र में नदिघा (अल्मोड़ा)

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ह०/-

प्रधान

ग्रामग्राम सभा बिरौड़ा

बि० ख० - हवालवाग

जि० ब० - अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

दिनांक 25/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- विरौड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री विवाम सिंह विरौड़िया	दीवान सिंह
2-	" ममोजा सिंह विरौड़िया	ममोजा
3-	" प्रबुध सिंह बोरा	प्रबुध सिंह
4-	" गोविन्द सिंह विरौड़िया	गोविन्द सिंह
5-	" कुन्दन सिंह बोरा	कुन्दन
6-	" देव सिंह बोरा	देव
7-	" रजिन्द्र सिंह बोरा	रजिन्द्र
8-	" दलजीत सिंह बोरा	दलजीत सिंह
9-	" मोहन सिंह बोरा	मोहन
10-	" शक्तिश सिंह बोरा	शक्तिश
11-	" गोविन्द सिंह विरौड़िया	गोविन्द
12-	" राजेन्द्र सिंह विरौड़िया	राजेन्द्र
13-	" लालचन्द सिंह विरौड़िया	लालचन्द
14-	" माधो सिंह विरौड़िया	माधो
15-	" पान सिंह विरौड़िया	पान
16-	" जमन सिंह विरौड़िया	जमन
17-	" ललित प्रसाद	ललित
18-	" आनन्द राम	आनन्द
19-	" पुनी राम	पुनी
20-	" नरेन्द्र सिंह बोरा	नरेन्द्र
21-	" नारायण सिंह बोरा	नारायण
22-	" गोविन्द सिंह बोरा	गोविन्द
23-	" कुचर सिंह विरौड़िया	कुचर
24-	" कलवन्त सिंह बोरा	कलवन्त
25-	" सुन्दर सिंह विरौड़िया	सुन्दर
26-	" राजेन्द्र कुमार	राजेन्द्र

ह0/मी0 देवी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विरौड़ा
वि० ख० - हवालबाग
जिला-अमोड़ा (उतरा०)

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-ढैली

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढैली द्वारा दिनांक 20/08/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ढैली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढैली

अल्मोड़ा

ह०/-

पूरन सिंह ढैली
ग्राम पंचायत - ढैली
अल्मोड़ा

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-पिठौनी

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पिठौनी द्वारा दिनांक 25.8.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पिठौनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत (जखोली)

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ह०/-

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत पिठौनी

पो० ब० - बिरीड़ा

विकास खण्ड-हवालबाग

जिला-अल्मोड़ा (उत्तरा०)

प्रधान

ग्राम प्रधान विकास खण्ड-हवालबाग
जिला-अल्माड़ा (उत्तरांचल)

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-भटखोला

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भटखोला द्वारा दिनांक 14/08/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भटखोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत भटखोला
140000-बनगड़ा (अल्मोड़ा)

ह0/-

जीवन्ती देवी
ग्राम

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - भटखोला
140000-बनगड़ा (अल्मोड़ा)

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 14/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- भटरखोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मोहन सिंह सोनू सिंह	Mohan Singh
	पुताप सिंह सोनू सिंह	Putap Singh
	हरिश्चंद्र सिंह सोनू सिंह	Harish Chandra Singh
	बहादुर सिंह सोनू सिंह	Bahadur Singh
	पुताप सिंह सोनू सिंह	Putap Singh
	जगजन्म सिंह सोनू सिंह	Jagjannam Singh
	राम सिंह सोनू सिंह	Ram Singh
	मनमोहन देवी सोनू सिंह	Manmohan Devi
	रघुनाथ सिंह सोनू सिंह	Raghunath Singh
	मनमोहन सोनू सिंह	Manmohan Singh
	भीमराज सोनू सिंह	Bhimraj Singh
	पुताप राम सोनू सिंह	Putap Ram Singh
	मोहन राम सोनू सिंह	Mohan Ram Singh
	दिवान राम सोनू सिंह	Divana Ram Singh
	पान सिंह सोनू सिंह	Pan Singh
	राजेंद्र सिंह सोनू सिंह	Rajendra Singh
	पान सिंह सोनू सिंह	Pan Singh
	उमराव सिंह सोनू सिंह	Umarav Singh
	जीवन्ती देवी सोनू सिंह	Jivanti Devi
	मनमोहन देवी सोनू सिंह	Manmohan Devi
	दमोदर देवी सोनू सिंह	Damodar Devi
	बहादुर सिंह सोनू सिंह	Bahadur Singh
	मनमोहन सिंह सोनू सिंह	Manmohan Singh
	रामा देवी सोनू सिंह	Rama Devi
	हरेंद्र सिंह सोनू सिंह	Harendra Singh
	नरेंद्र सिंह सोनू सिंह	Narendra Singh
	राम लाल सोनू सिंह	Ram Lal Singh
	बहादुर देवी सोनू सिंह	Bahadur Devi
	दमोदर देवी सोनू सिंह	Damodar Devi
	नरेंद्र सिंह सोनू सिंह	Narendra Singh

नरेंद्र सिंह

हो/

जीवन्ती देवी

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत - भटरखोला

बि० ख० - बमगाड़ा (मंडी)

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—मल्ली तोली

तहसील—अल्मोड़ा

जिला — अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मल्ली तोली द्वारा दिनांक 02/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मल्ली तोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... तोली
अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

ह0/-

ग्राम प्रधान

पी० एस० डसीला
ग्राम पंचायत - तोली
वि० ख०- ल० अल्मोड़ा

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 03/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- मल्ली तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	चन्द्रमोहन लोमिया	
02	सुभाषी राय	
03	किशन राय	
04	मोहन राय	
05	गोपबलि सिंह	
06	मोहन सिंह	
07	मोहन सिंह	
08	मोहन सिंह	
09	मोहन सिंह	
10	पान सिंह डोला	
11	मोहन सिंह	
12	मोहन सिंह	
13	मोहन सिंह	
14	मोहन सिंह	
15	मोहन सिंह	
16	मोहन सिंह	
17	मोहन सिंह	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

ह0/

ग्राम प्रधान

श्री १२३४५६७८९

प्रधान

ग्राम पंचायत ओली

100 अ0- लमगड़ा, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-ठाड़ा मठेणा

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठाड़ा मठेणा द्वारा दिनांक 14/08/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ठाड़ा मठेणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव

वि०स०-समगाड़ा (अल्मोड़ा)

ह०/-

हमा देवी

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - ठाड़ा मठेणा

अल्मोड़ा

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ग्राम प्रधान
हेमा देवी
मयौन
ग्राम विकास - काम राखेन।
वि० ख० - तननडा
जेलमाडा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- तल्ली तोली

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तल्ली तोली द्वारा दिनांक 23.11.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तल्ली तोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है।

ह0/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव

तल्ली तोली (अल्मोड़ा)

ह0/-

पी० एस० डसीला
प्रधान

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - तोली
वि० ख० - तल्ली तोली, अल्मोड़ा

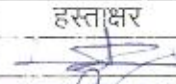
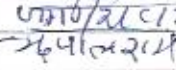
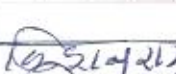
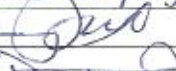
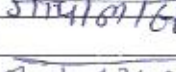
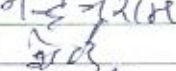
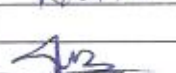
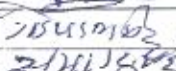
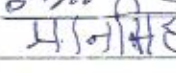
नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

03/11/2014

दिनांक.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- तल्ली तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	पंडित राम गोपाल	
②	जगदीश राय	
③	किशन राय	
④	गोपाल सिंह	
⑤	गोपाल सिंह	
⑥	गोपाल सिंह	
⑦	गोपाल सिंह	
⑧	गोपाल सिंह	
⑨	गोपाल सिंह	
⑩	गोपाल सिंह	

३०/

ग्राम प्रधान

7.12.14

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) के निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-गौना

तहसील-अल्मोड़ा

जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टाट्रिक (जखोली) तोली तल्ली मोटर मार्ग (लम्बाई 20.550 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 6.229175 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.1755 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.404675 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौना द्वारा दिनांक 26/08/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गौना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सही है।

ह0/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम सचिव 116111-अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सही है।
ग्राम पंचायत गौना
पो0ओ0- अल्मोड़ा
वि० ख० - लखोड़ा (अल्मोड़ा)

नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

